क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल

जिन्दल हॉस्पीटल के पीछे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज)

E-Mail :- rorpcb.bharatpur@gmail.com

जन सुनवाई कार्यवृत्त विवरण (मिनट्स)

मैसर्स महादेव एन्क्लेव प्राइवेट लिमिटेड, (कार्तिक राठी), खनन पट्टा प्लॉट संख्या 62, खसरा नं. 686, 687, खनन पट्टा क्षेत्रफल 2.40 हैक्टेयर (क्लस्टर में कुल 08 खनन परियोजनायें हैं जिनका कुल क्षेत्रफल 19.20 हैक्टेयर है, में से एक खनन पट्टा), निकट ग्राम जसवर तहसील भुसावर जिला भरतपुर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 4,05,800 टन प्रति वर्ष (ROM) मैसनरी स्टोन (लघु खनिज) परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति के लिये **दिनांक 18.12.2025 (गुरूवार) को अपरान्ह 03.00 बजे, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत बबेखर, पंचायत समिति भुसावर, तहसील भुसावर, जिला भरतपुर** में आयोजित जन सुनवाई का कार्यवृत्त विवरण (मिनिट्स)।

भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली की पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना क्रमांक एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 तथा यथा संशोधित दिसम्बर 2009 एवं Office Memorandum No. J-1101/387/2008-1-A-11 (m) dated 28th September 2011 के प्रावधानों के अनुसार मैसर्स महादेव एन्क्लेव प्राइवेट लिमिटेड, (कार्तिक राठी), खनन पट्टा प्लॉट संख्या 62, खसरा नं. 686, 687, खनन पट्टा क्षेत्रफल 2.40 हैक्टेयर (क्लस्टर में कुल 08 खनन परियोजनायें हैं जिनका कुल क्षेत्रफल 19.20 हैक्टेयर है, में से एक खनन पट्टा), निकट ग्राम जसवर तहसील भुसावर जिला भरतपुर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 4,05,800 टन प्रति वर्ष (ROM) मैसनरी स्टोन (लघु खनिज) परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति के लिये **दिनांक 18.12.2025 (गुरूवार) को अपरान्ह 03.00 बजे, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत बबेखर, पंचायत समिति भुसावर, तहसील भुसावर, जिला भरतपुर** में सुनवाई आयोजित की गई।

जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ठ "**अ**" पर संलग्न है। जन सुनवाई बाबत् आम सूचना दिनांक 14.11.2025 को "दैनिक भास्कर" व "सांध्य ज्योति दर्पण" समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाई गयी थी जिसकी प्रतियॉ परिशिष्ट "**ब**" पर संलग्न हैं।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए श्री उमेश कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भरतपुर द्वारा उपस्थित सभी आंगतुकों का स्वागत करते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अन्तर्गत जनसुनवाई की आवश्यकता/प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया कि यह जनसुनवाई, मैसर्स महादेव एन्क्लेव प्राइवेट लिमिटेड, (कार्तिक राठी), खनन पट्टा प्लॉट संख्या 62, खसरा नं. 686, 687, खनन पट्टा क्षेत्रफल 2.40 हैक्टेयर (क्लस्टर में कुल 08 खनन परियोजनायें हैं जिनका कुल क्षेत्रफल 19.20 हैक्टेयर है, में से एक खनन पट्टा), निकट ग्राम जसवर तहसील भुसावर जिला

भरतपुर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 4,05,800 टन प्रति वर्ष (ROM) मैसनरी स्टोन (लघु खनिज) परियोजना के लिये पर्यावरण स्वीकृति हेतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत की जा रही है।

श्री उमेश कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.मं., भरतपुर ने अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर एवं पधारे हुए समस्त ग्रामवासियों का अभिनन्दन किया एवं जनसुनवाई की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जन सुनवाई से प्रस्तावित परियोजना के बारे में जनचेतना का विकास एवं संचार होता है, साथ ही परियोजना से पर्यावरण के संरक्षण सम्बन्धी जन मानस की सोच एवं सुझाव भी उपलब्ध हो जाते हैं। श्री उमेश कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.मं., भरतपुर ने बताया कि इस बैठक में उपस्थित जन, मौखिक एवं लिखित रूप से अपनी आपत्तियॉ, सुझाव, अथवा राय दे सकते हैं।

तत्पश्चात् अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर की अनुमति से परियोजना के तकनीकी परामर्शदाता मैसर्स पी एण्ड एम सॉल्यूशन, सी–88, सैक्टर – 65 नोयडा उत्तरप्रदेश के श्री दीपक कुमार द्वारा खनन परियोजना एवं खनन कार्य के पर्यावरणीय प्रभाव का विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया। तकनीकी परामर्शदाता द्वारा उपस्थित जन समुदाय को जनसुनवाई के प्रावधानों व उद्देश्यों के बारे में एवं खनन की विधि, प्रस्तावित पर्यावरणीय संरक्षण के उपाय व उनकी लागत, प्रस्तावित सामाजिक दायित्वों के कार्यक्रम व उनकी लागत व प्रस्तावित वृक्षरोपण कार्यक्रम, प्रस्तावित पर्यावरणीय क्षति का ऑकलन, उपचार योजना एवं सामुदायिक संसाधन वृद्धि योजना एवं खनन के बारे में पूर्ण रूप से बताया। इस परियोजना में खनन कार्य हर प्रकार के नियमों व मापदण्डो को ध्यान में रखते हुए व पर्यावरण को सुदृढ रखते हुए किया जाएगा एवं पर्यावरण प्रभाव आंकलन के सांराश के बारे में बताते हुए स्पष्ट किया कि पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए खदान परियोजना प्रस्तावक द्वारा किस प्रकार परियोजना का विकास किया जाएगा।

तदोपरान्त क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.मं., भरतपुर एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा जन सुनवाई में पधारे हुए लोगों से उक्त खनन परियोजना एवं पर्यावरण पर पडने वाले प्रभाव के सम्वन्ध में सुझाव/आपत्ति/राय व्यक्त करने/प्रस्तुत करने के लिये आमंत्रित किया गया। इसी दौरान ग्राम की कुछ महिलाओं एवं पुरूषों द्वारा उक्त खनन पट्‌टे को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्वन्ध में आयोजित जनसुनवाई का विरोध किया गया तथा जबरदस्त नारेबाजी की गयी । कानून–व्यवस्था बिगडने की आशंका होने पर पुलिस बल को भी बुलाया गया तथा जनसमूह को शांत रहने हेतु अनुरोध किया गया था एक–एक करने अपनी बात कहने हेतु कहा गया। जन समूह में से कुछ व्यक्तियों द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जिन्दल हॉस्पीटल के पीछे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज)

E-Mail :- rorpcb.bharatpur@gmail.com

सर्वप्रथम श्री मदन सिंह चौहान उर्फ मदन फौजी निवासी ग्राम सुवाकी ग्राम पंचायत बबेखर तहसील भुसावर जिला भरतपुर ने बताया कि उक्त खनन पट्टे खेतों में आते हैं व वह इस परियोजना के शुरू होने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हैं साथ ही यह भी बतलाया कि उक्त पहाड धार्मिक क्षेत्र का पहाड है जिस पर खनन कार्य की स्वीकृति प्रदान किया जाना बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। यदि स्वीकृति प्रदान की गयी तो जन आन्दोलन किया जावेगा।

इसके पश्चात श्री राकेश पथैना पुत्र श्री लाखन सिंह निवासी ग्राम पंचायत पथैना तहसील भुसावर जिला भरतपुर द्वारा बताया गया कि जो यह परियोजना सरकार ला रही है उसका बाबा कालिया मण्डल के सभी गॉव पूर्णतः समर्थन नहीं करते हैं और किसी भी कीमत पर इस परियोजना को स्वीकार भी नहीं करेंगे। कारण में बताया कि हाल ही में कोली बस्ती अलीपुर गॉव में दो बच्चों की सिलिकोसिस से मृत्यु हो गयी है।

इसके पश्चात श्री लक्ष्मण सिंह परमार, जिला मंत्री, भारतीय जनता पार्टी, भरतपुर द्वारा बताया गया कि इस परियोजना का हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं व पुरजोर रूप से विरोध करते हैं अगर यह परियोजना चालू होती है तो हम आन्दोलन करेंगे तथा आसपास के क्षेत्र में अब तक 42 व्यक्तियों की सिलिकोसिस से मृत्यु के बारे में अवगत कराया। इस क्षेत्र में बहुतायत राष्ट्रीय पक्षी मोर पाये जाते हैं जिनकी खनन में होने वाली ब्लास्टिंग से मृत्यु का खतरा बना रहता है।

इसके पश्चात श्री सन्तोष सिंह पुत्र श्री चन्द्र सिंह निवासी ग्राम जसवर तहसील भुसावर जिला भरतपुर द्वारा बताया गया कि नये खनन पट्टों का बिल्कुल भी आवंटन नहीं होना चाहिये। पर्यावरणीय परामर्शदाता द्वारा जो नियम बताये गये हैं उसके अनुसार ये खनन पट्टाधारी बिल्कुल भी कार्य नहीं करते हैं। खनन कार्य के दौरान बहुत शोर होता है जिसको तीन किलोमीटर तक सुना जा सकता है। धूल को उडने से रोकने के लिये कोई प्रयास नहीं किया जाता है न ही बताये गये मद के अनुसार पेड–पौधे लगाने पर खर्च किया जाता है। सडक की स्थिति बहुत ही खराब है जिस पर दोपहिया वाहन भी मुश्किल से चल पाते हैं तथा सिलिकोसिस से होने वाली मृत्युओं के बारे में भी अवगत कराया और साथ ही यह भी कहा कि यहॉ एक भी लीज आवंटित नहीं होनी चाहिये हम लीजों को नहीं चलने देंगे।

इसके पश्चात श्री बजरंग सिंह पुत्र श्री मक्खन सिंह निवासी ग्राम खदराया तहसील भुसावर जिला भरतपुर द्वारा बताया गया कि यह जो क्षेत्र है वो कालिया बाबा का धार्मिक क्षेत्र है इसको जनता देवता के रूप में पूजती है इसलिये यहॉ जो लीजें दी जा रही है हम उनके विरोध में हैं और राज्य सरकार द्वारा पूर्व में भी इस क्षेत्र की नौ लीजों को निरस्त करने का आश्वासन मिला था। और हम अनशन भी कर चुके हैं जो यह सभी को विदित है। इसलिये हमारा निवेदन है कि यहॉ लीजों को न लगाया जावे।

इसके पश्चात श्री आनन्द कुमार जैन पुत्र श्री प्रकाश चन्द जैन निवासी ग्राम अलीपुर तहसील भुसावर जिला भरतपुर द्वारा बताया गया कि यहॉ जो लीजें लग रहीं है वो गलत हैं यह बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहियें क्योंकि यहॉ हालत बहुत खराब हैं। यहॉ कम से कम 250–300 औरतें ऐसी हैं जो विधवा हो चुकी हैं। 20–25 वर्ष के नई उम्र में बच्चे मर चुके हैं जिनको कोई सरकार से सहायता भी नहीं मिलती है। एक साल पहले बनी सडक की हालत भी इतनी खराब है कि आदमी चलने से पहले सोचता है कि हम जायें कि नहीं जायें अतः लीज आवंटित नहीं की जाये।

इसके पश्चात श्री सुरेश चन्द सैनी पुत्र श्री गोदराम सैनी निवासी ग्राम अलीपुर तहसील भुसावर जिला भरतपुर द्वारा बताया गया कि जो परियोजनायें पहले से ही चल रही है वह ही नियमों का पालन नहीं कर पा रही है और नई परियोजना आने से और भी अधिक परेशानी हो जायेगी। यहॉ के लोग साधारण जीवन भी नहीं जी पा रहे हैं बहुत से लोग गॉव छोडकर चले गये हैं और यदि यह परियोजना प्रारम्भ होती है तो मैं भी गॉव छोडकर चला जाऊॅगा। अतः यह परियोजना प्रारम्भ नहीं होनी चाहिये।

इसके पश्चात श्री शिवचरन पुत्र श्री खिल्लोराम निवासी ग्राम बबेखर तहसील भुसावर जिला भरतपुर द्वारा बताया गया कि खनन कार्य में होने बाली ब्लास्टिंग से आबादी तक पत्थर आते हैं एवं जो क्रशर पहले से लगे हुए हैं उन्होंने जमीन तो दो बीघा ली हुई है लेकिन 10 बीघा में होकर क्रशर चला रहे हैं। चारागाह की भूमि पर भी कब्जा कर लिया गया है। खनन कार्य से हमारी फसल को भी नुकसान होता है। अतः यह परियोजना प्रारम्भ नहीं होनी चाहिये।

इसके पश्चात श्री राधावल्लभ शास्त्री पुत्र श्री नवल किशोर शर्मा निवासी ग्राम बबेखर तहसील भुसावर जिला भरतपुर द्वारा बताया गया कि हमारा सम्पूर्ण ग्रामवासियों की तरफ से यही निवेदन है कि जो भी नई लीज आयी है वह नहीं लगनी चाहिये।

इसके पश्चात् प्रस्तावित परियोजना मैसर्स महादेव एन्क्लेव प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि श्री रजनीश उपाध्याय द्वारा बताया गया कि इस क्षेत्र में जो पहले से खनन कार्य हो रहे हैं और उससे जो समस्यायें आ रही हैं उनके बारे में मुझे नहीं पता है और उनसे हमारा कोई सम्बन्ध भी नहीं है इस क्षेत्र में यह हमारा पहला खनन पट्टा है और जैसा कि हमारे पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा परियोजना के बारे में दिशा–निर्देश बताये गये है हम उसी के अनुसार कार्य करेंगे तथा राष्ट्रीय पक्षी मोर के संरक्षण के लिये भी प्रयास किये जायेंगे तथा हमारी फर्म द्वारा सार्वजनिक हित व स्थानीय निवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए खनन कार्य किया जावेगा। मैसर्स महादेव एन्क्लेव प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि की बात बीच में ही काटते हुये जन समूह द्वारा एक स्वर में उक्त खनन पट्टे को स्वीकृति दिये जाने का विरोध किया गया।

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जिन्दल हॉस्पीटल के पीछे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज)
E-Mail :- rorpcb.bharatpur@gmail.com

इसके अतिरिक्त जनसुनवाई के दौरान लिखित अभ्यावेदन/पत्र भी प्राप्त हुए जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

1. श्री शिवराम से प्राप्त पत्र संलग्न परिशिष्ट– **"स"** कुल पृष्ठ संख्या एक
2. श्री लक्ष्मण सिंह, जिला मंत्री, भा.ज.पा., भरतपुर संलग्न परिशिष्ट– **"द"** कुल पृष्ठ संख्या एक
3. श्री बजरंग सिंह, बबलू सिंह, दिनेश सिंह, महर सिंह एवं अन्य समस्त ग्रामवासी सुआकी तहसील भुसावर जिला भरतपुर से प्राप्त पत्र संलग्न परिशिष्ट– **"य"** कुल पृष्ठ संख्या एक
4. श्री सुरेश सैनी, श्रीमती सुनीता, तिलक सिंह एवं अन्या समस्त ग्रामवासी ग्राम बवेखर तहसील भुसावर जिला भरतपुर से प्राप्त पत्र संलग्न परिशिष्ट– **"र"** कुल पृष्ठ संख्या ग्यारह
5. श्री रामसिंह से प्राप्त पत्र संलग्न परिशिष्ट– **"ल"** कुल पृष्ठ संख्या एक

तत्पश्चात् श्री घनश्याम शर्मा, अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर ने समीक्षात्मक उद्बोधन एवं धन्यवाद् व्यक्त करते हुये बैठक में उपस्थित आक्रोशित जनसमूह को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा रखे गये विचार व सुझाव/आपत्तियाँ रिकॉर्ड किये गये हैं। आपके विचार व सुझाव/आपत्तियॉं सभी सम्मिलित कर सम्बन्धित विभाग को पारदर्शिता के साथ भेजे जायेंगे, जिसके समग्र बिन्दुओं पर विचारोपरांत ही खदान को पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने का निर्णय लिया जायेगा।

अन्त में क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भरतपुर एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर, भरतपुर ने पुनः आमजन से आग्रह किया कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस परियोजना के बारे में सुझाव या शिकायत हो तो अवगत करायें। इसी दौरान उपस्थित जनसमूह द्वारा उक्त खनन पट्टे के विरोध में नारेबाजी प्रारम्भ कर दी गयी। अवांछित स्थिति उत्पन्न होने के कारण पर्यावरणीय लोक सुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गई।

(उमेश कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी,
रा.प्र.नि.मं.,भरतपुर

(घनश्याम शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर।

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जिन्दल हॉस्पीटल के पीछे, श्यामा प्रसाद मुखजी नगर, भरतपुर (राज)
उपस्थिति विवरण प्रपत्र

मैसर्स महादेव एन्क्लेव प्राइवेट लिमिटेड, (कार्तिक राठी), खनन पट्टा प्लॉट संख्या 62, खसरा नं. 686, 687, खनन पट्टा क्षेत्रफल 2.40 हैक्टेयर (क्लस्टर में कुल 08 खनन परियोजनायें हैं जिनका कुल क्षेत्रफल 19.20 हैक्टेयर है, में से एक खनन पट्टा), निकट ग्राम जसवर तहसील भुसावर जिला भरतपुर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 4,05,800 टन प्रति वर्ष (ROM) मैसनरी स्टोन (लघु खनिज) परियोजना के लिये पर्यावरण स्वीकृति हेतु **दिनांक 18.12.2025 (गुरूवार) को अपरान्ह 03.00 बजे, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत बबेखर, पंचायत समिति भुसावर तहसील भुसावर जिला भरतपुर** में आयोजित जनसुनवाई का उपस्थिति विवरण :–

क्र.सं.	नाम	पता	मोवाइल नं.	हस्ताक्षर
01	Sh. Ghanshyam Sharma,	ADM, Bharatpur	9414274896	[signature]
02	Radhey Shyam Meena	SDM, Bhusawar	8503000010	[signature]
03	Umesh Kumar	RO, RPCB Bharatpur	9509508226	[signature]
04	Abhay raj singh	TDR Bhusawar	9772528802	[signature]
05	Sanjeev Kr. Singhal	TDR Collectorate	9057596722	[signature]
06	हरीश	[illegible]	8740940802	[signature]
07	लक्ष्मणसिंह	[illegible]	9001350565	[signature]
08	बजरंगसिंह	बछरपा	9982531134	बजरंगसिंह
09	मुकेश चौधरी	चौसरीमा	9667312228	[signature]
10	[illegible]	[illegible]	9414261349	[signature]
11	संजीव चौहान	जसवर	9982583092	[signature]
12	सुरेश सैनी	अलीपुर	9269211030	[signature]
13	महेशसिंह	जसवर	9680993430	
14	शिवचरनलाल	बबेखर	6378786882	[signature]
15	देशराज	बबेखर	7851831995	
16	धर्मेन्द्रसिंह	गढ़ीबदपुर	6378182370	
17	मंगल	बबेखर		
18	रामप्रसाद	बबेखर	9571128158	
19	बलबीरसिंह	अलीपुर	9829417636	
20	सुबोध	बबेखर	6375982109	

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जिन्दल हॉस्पीटल के पीछे, श्यामा प्रसाद मुखजी नगर, भरतपुर (राज)
उपस्थिति विवरण प्रपत्र

मैसर्स महादेव एन्क्लेव प्राइवेट लिमिटेड, (कार्तिक राठी), खनन पट्टा प्लॉट संख्या 62, खसरा नं. 686, 687, खनन पट्टा क्षेत्रफल 2.40 हैक्टेयर (क्लस्टर में कुल 08 खनन परियोजनायें हैं जिनका कुल क्षेत्रफल 19.20 हैक्टेयर है, में से एक खनन पट्टा), निकट ग्राम जसवर तहसील भुसावर जिला भरतपुर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 4,05,800 टन प्रति वर्ष (ROM) मैसनरी स्टोन (लघु खनिज) परियोजना के लिये पर्यावरण स्वीकृति हेतु **दिनांक 18.12.2025 (गुरूवार) को अपरान्ह 03.00 बजे, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत बबेखर, पंचायत समिति भुसावर तहसील भुसावर जिला भरतपुर** में आयोजित जनसुनवाई का उपस्थिति विवरण :–

क्र.सं.	नाम	पता	मोवाइल नं.	हस्ताक्षर
21	पिंटू	बबेरवर	9351060366	
22	डालसिंह	बबेखर	9462151237	
23	बाबूलाल		7727084262	
24	हरिचरन	बबेरवर	6367614653	
25	[illegible]	बबेरवर	7878585848	
26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
27	नरेशकुमार	बबेरवर	7014935357	
28	महेन्द्र	बबेखर	6377919847	
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

आय का नुकसान हो रहा है। वैर विधायक बहादुर सिंह कोली भी भुसावर उपखंड में चल रहे अवैध खनन कार्य की ओर कोई ध्यान

को छिडकाव नहीं किए जाने के कारण क्रेशरो से उडने वाली धूल का गुब्बार बन जाता है।जो मानव स्वास्थ्य के लिए घातक है। क्रशरों

कि तो उन्होंने बताया कि मीटिंग बुलाकर कन्वर्जन संबंधी और पॉलिशन के बारे में बात की जाएगी।

वॉलीबॉल टूर्नामेंट में जीआईएमटी की टीम बनी विजेता

भरतपुर 14 नवम्बर। महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय के अंतर महाविद्यालय वॉलीबॉल पुरुष टूर्नामेंट का आयोजन मास्टर आदित्येन्द्र राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के खेल मैदान पर संपन्न हुआ जिसका आयोजन एमएसजे राजकीय महाविद्यालय ने किया। टूर्नामेंट के उद्घाटन की अध्यक्षता महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर अंजु तंवर ने की। मुख्य अतिथि बाबू सिंह ठेकेदार थे। विशिष्ट अतिथि भगत सिंह सूरौता व डॉक्टर राकेश चाहर रहे।

टूर्नामेंट का आयोजन स्पोर्ट्स समिति चैयरमेन डॉ.योगेंद्र भानु, पर्यवेक्षक डॉ. संदीप देशवाल व लक्ष्मण सिंह मौजूद की मौजूदगी में हुआ। टूर्नामेंट आयोजन सचिव एमएसजे महाविद्यालय खेल प्रभारी अभयवीर सिंह चौधरी ने बताया कि इस टूर्नामेंट में कुल 6 टीमों ने भाग लिया तथा जीआईएमटी महाविद्यालय विजेता व एमएसजे महाविद्यालय उपविजेता रहे। टूर्नामेंट में हीरेंद्र सिंह ,अजय फौजदार, तारा सिंह, दिलीप शर्मा, मुकेश चौधरी, ऐदल सिंह, नरेंद्र कमेडिया, डॉ. मनोज सिंह सिनसिनवार, डॉ भगत सिंह, डॉ.महेंद्र सिंह लोधा, डॉ. पुष्पेंद्र भारद्वाज मौजूद रहे।

परिशिष्ट "ब"

साध्य ज्योति स्पर्श

क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल

जिन्दल हॉस्पीटल के पीछे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज)

रा.प्र.नि.मं./ क्षे.का. (भरतपुर) / सामान्य–311/2415 दिनांक–12.11.25

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना क्रमांक एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 के प्रावधान के अनुसार मैसर्स महादेव एन्क्लेव प्राइवेट लिमिटेड, (कार्तिक राठी), खनन पट्टा प्लॉट संख्या 62. खसरा नं. 686. 687, खनन पट्टा क्षेत्रफल 2.40 हैक्टेयर (क्लस्टर में कुल 08 खनन परियोजनायें हैं जिनका कुल क्षेत्रफल 19.20 हैक्टेयर है. में से एक खनन पट्टा), निकट ग्राम जसवर तहसील भुसावर जिला भरतपुर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 4,05,800 टन प्रति वर्ष (ROM) मैसनरी स्टोन (लघु खनिज) परियोजना के लिये पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं।

उपर्युक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली, द्वारा जारी अधिसूसना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है अतः समस्त सम्बन्धित को इस नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त खनन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई हेतु दिनांक 18.12.2025 (गुरुवार) को अपरान्ह 03.00 बजे, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत बबेखर, पंचायत समिति भुसावर तहसील भुसावर जिला भरतपुर में उपस्थित होकर सुझाव / आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन तिथि से 30 दिवस की अवधि में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय कार्यालय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, जिन्दल हॉस्पीटल के पीछे, भरतपुर (e-mail-rorpcb.bharatpur@gmail.com) अथवा मुख्यालय, 04 संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं। उक्त परियोजना से सम्बन्धित पर्यावरण प्रभाव आंकलन रिपोर्ट (ई.आई.ए. रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों में उपलब्ध है।

1. कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर।
2. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, जिन्दल हॉस्पीटल के पीछे, भरतपुर
3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, 04-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, भारत सरकार, अरण्य भवन, जयपुर।
5. कार्यालय उप खण्ड अधिकारी, तहसील भुसावर, जिला भरतपुर।
6. कार्यालय पंचायत समिति, भुसावर जिला भरतपुर।
7. सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, रूपवास जिला भरतपुर।
8. कार्यालय ग्राम पंचायत, बबेखर तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.मं. भरतपुर

शित सम्पादक- जगदीश अग्रवाल फोन नं. 05644-223780, मो. 9414023410,जयपुर कार्यालयः डी.एल.टावर 3-ए- विद्याश्रम संस्थानिक
मने नागौर सम्पादक रमेश जैन फोन नं. 240071 डाक पं.स./ बीटीपी/2018-20, आरएनआई नं. 48651/90

की जांच तहत निमित आवासों से संबंधित फाइल लेकर जांच की।

जंगली सुअर ने किया हमला

वैर। भुसावर रोड पर खेत में कार्य कर रहे एक किसान पर जंगली सुअर ने हमला कर दिया। सुअर के हमले में किसान घायल हो गया। जिसे उपचार के लिए उप जिला चिकित्सा लय में भर्ती कराया। जहां उसका उपचार किया। मैनाबास निवासी तेज सिंह नसबारिया पुत्र हरिराम ने बताया उसका बड़ा भाई मोहनसिंह पर खेत पर काम कर रहा था।

ओं का निस्तारण

ने अधिकारी।

संजय
वंश से
र खेती
ओं को

गौवंश
ओं में
ाल में
और

कर्मचारियों को राजस्थान सरकार की योजनाओं को गांववासियों तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए। इस अवसर पर नायब तहसीलदार अरुण, विकास अधिकारी जेपी बुनकर, सौरभ मिश्रा सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

सूचना

मैं सौम्या सहगल सिंह पत्नी श्री जगत सिंह आयु 53 साल निवासी महारानी फार्म डेरा मण्डी रोड डेरा साउथ दहली छत्तरपुर दिल्ली शपथ पूर्वक बयान करती हूँ:-1. यह है कि हमारी फर्म जय बालाजी कन्ट्रेक्शन कम्पनी पता वंशी पहाड़पुर रोड धर्मकांटे के पास महलपुर चूरा कस्बा रूपवास जिला भरतपुर है। जिसका फर्म रजिस्ट्रेशन नम्बर RF/BTP/2022/2920 है। 2. यह है कि यह फर्म 05.08.2022 को चालू हुई थी इसमें हम दों पार्टनर थे। 1-श्री अलेकजेन्दर रंजीत कोहला पुत्र श्री सोरावारो कोहला यह निवासी महारानी फार्म डेरा मण्डी रोड डेरा साउथ दहली छत्तरपुर दिल्ली एवं 2-सौम्या सहगल सिंह पत्नी श्री जगत सिंह निवासी महारानी फार्म डेरा मण्डी रोड डेरा साउथ दहली छत्तरपुर दिल्ली है। 3. यह है कि पार्टनर श्री अलेकजेन्दर रंजीत कोहला पुत्र श्री सोरावारो कोहला निवासी महारानी फार्म डेरा मण्डी रोड डेरा साउथ दहली छत्तरपुर रिटायरमेंट कम पार्टनरसिप डीड दिनांक 01.08.25 द्वारा प्रथक हो गये है। 4. प्रियांशु शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा निवासी ग्राम माडापुरा तहसील रूपवास एवं भमर सिंह पुत्र श्री कुवरसिंह निवासी ग्राम चुरारी डांग तहसील रूपवास जिला भरतपुर 01.08.2025 से इस फर्म में शामिल हो गये है। 5. यह है कि यह सूचना समाचार पत्र में भी दे दी गयी है। 6. यह है कि राजस्थान गजट पत्र में प्रकाशन के लिये यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।

– सौम्या सहगल सिंह

"दैनिक भास्कर" परिशिष्ट "ब"

क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जिन्दल हॉस्पीटल के पीछे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज)

रा.प्र.नि.मं./ क्षे.का. (भरतपुर) / सामान्य-311/2415 दिनांक-12.11.25

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना क्रमांक एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 के प्रावधान के अनुसार मैसर्स महादेव एन्क्लेव प्राइवेट लिमिटेड, (कार्तिक राठी), खनन पट्टा प्लॉट संख्या 62. खसरा नं. 686.687, खनन पट्टा क्षेत्रफल 2.40 हैक्टेयर (क्लस्टर में कुल 08 खनन परियोजनायें हैं जिनका कुल क्षेत्रफल 19.20 हैक्टेयर है. में से एक खनन पट्टा), निकट ग्राम जसवर तहसील भुसावर जिला भरतपुर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 4,05,800 टन प्रति वर्ष (ROM) मैसनरी स्टोन (लघु खनिज) परियोजना के लिये पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं।

उपर्युक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली, द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है अत: समस्त सम्बन्धित को इस नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त खनन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई हेतु दिनांक 18.12.2025 (गुरुवार) को अपरान्ह 03.00 बजे, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत बबेरवर, पंचायत समिति भुसावर तहसील भुसावर जिला भरतपुर में उपस्थित होकर सुझाव / आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन तिथि से 30 दिवस की अवधि में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय कार्यालय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, जिन्दल हॉस्पीटल के पीछे, भरतपुर (e-mail-rorpcb.bharatpur@gmail.com) अथवा मुख्यालय, 04 संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं। उक्त परियोजना से सम्बन्धित पर्यावरण प्रभाव आंकलन रिपोर्ट (ई.आई.ए. रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों में उपलब्ध है।

1. कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर।
2. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, जिन्दल हॉस्पीटल के पीछे, भरतपुर
3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, 04-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, भारत सरकार, अरण्य भवन, जयपुर।
5. कार्यालय उप खण्ड अधिकारी, तहसील भुसावर, जिला भरतपुर।
6. कार्यालय पंचायत समिति, भुसावर जिला भरतपुर।
7. सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, रूपवास जिला भरतपुर।
8. कार्यालय ग्राम पंचायत, बबेरवर तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.मं. भरतपुर

परिशिष्ट - स

सेवा में,

श्रीमान जनसुनवाई अधिकारी
ग्राम - पंचायत - बवेबर
पंचायत समिति कुम्हेर
जिला - भरतपुर (राज०)

विषय! आबादी क्षेत्र के पट्टा ~~देने~~ देने के बाबत

महोदय!

श्रीमान जी निवेदन है ग्राम - पंचायत बवेबर में जो आबादी ~~क्षेत्र~~ क्षेत्र है उसमें आबादी ~~बसा~~ बसा हुआ। उसमें पट्टा के दिलवाने की कृपा करें।

शिवचरन

सेवामें,

परिशिष्ट -7

श्रीमान अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राजस्थान)

SUB :→ खसरा P.I.-No.- 55, 56, 57, 58, 59
60 & 61 ग्राम जसवर तह० नगर (भरतपुर)
में लीज स्वीकृत नहीं करने के क्रम में

मान्यवर महोदय,

1. उपरोक्त विषय पर निवेदन है कि यह पहाड धार्मिक स्थल है तथा और पास घनी आबादी है।

2. उपरोक्त लीज का हमेशा जन आन्दोलन चलता रहता है। जन भावना और धार्मिक स्थल को देखते हुए लीज की परमिशन नहीं देने की कृपा करें।

प्रार्थी
लक्ष्मण सिंह
जिला मन्त्री (BJP)
भरतपुर
9001370569

18/12/25

परिशिष्ट-य

सेवा में,

श्रीमान जिलाधीश महोदय
जिला - भरतपुर (राज.)

विषय :- कालिया बाबा (काला पहाड़) में नई आवंटित खनिज लीजों को निरस्त करने (NOC नहीं देने) के क्रम में।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि ब्रज चौरासी सीमा से सटा हुआ धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत काला पहाड़ (कालिया बाबा) भुसावर उपखण्ड जिला-भरतपुर के ग्राम पंचायत अलीपुर एवं बेवरवर के ग्राम जसवर (खुआली) में स्थित है।

(2) काला पहाड़ (कालिया बाबा) पर होने वाले खनन से पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है खनन माफिया हरे भरे पेड़ों को काट रहे जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है।

(3) काला पहाड़ पर हो रहे खनन से मानव व अन्य जानवरों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। हर समय धूल उड़ती है जिससे लोगों में सिलकोसिस व टी.बी जैसी बीमारियाँ फैल रही हैं।

(4) काला पहाड़ पर खनन होने से गड़गड़ाहट होती है जिससे 15 K.m तक सुनाई देती है और पहाड़ के पत्थर बहुत दूर तक चले जाते हैं।

(5) काला पहाड़ पर बड़ा प्राचीन तालाब है और पहाड़ पर करीब एक हजार गाय चरती है और जीव जन्तु पानी पीते है जिस तालाब को नष्ट किया जा रहा है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि इन खनिज लीजों को निरस्त किया जाये आपकी अति कृपा होगी।

परिशिष्ट-ग

प्रार्थी

समस्त ग्राम वासी सुआको (जसवर)

दिनांक
10/12/2025

mob. 9982583092

(6) भरतपुर जिला NCR में आता है जिसमें नई खनिज लीजे एवं नई क्रेशर लग रही है जो तालाब 50 फुट दूर है और गाँव से 500 मीटर दूर है इसलिए इन नई क्रेशरों को बन्द किया जाये।

बजरंग सिंह 9982531134

सुनीता (उपसरपंच)

राम सिंह

महेश

तिलक सिंह

पूरन सिंह

दिनेश

परिशिष्ट-२

(1)

सेवामें,

श्रीमान् ....A.D.M......सद्दाब

जिला – भरतपुर (राज०)

....

विषयः– ग्राम सुआकी, जसवर, अलीपुर की चारागाह भूमि खाता स0 354 अलीपुर पटवार हल्का बवेखर तालाब भूमि, पोखर भूमि मरघट भूमि नाला भूमि, कुँआ सिवायचक खात संख्या 1. अलिपुर से अतिकमण हटाने अतिकमण हटवाकर चारागाह भूमि की चार दीवारी करवानें बाबत् एवं 2. कालिया बाबा पर्वत को देवस्थान विभाग में सम्मिलित करवाने बाबत् व अनुमति से अधिक पत्थर खुदाई पर जांच कर लीजों को निरस्त किया जाने हेतु।(3.) कालिया बाबा पर्वत को खनन मुक्त कराने बाबत

मान्यवर,

उपरोक्त विषय अन्तर्गत निवेदन हैं कि अरावली पर्वत में स्थित काला पर्वत उर्फ कालिया बाबा की तलहटी में सुआकी, जसवर अलपुर गांव की चारागाह भूमि, समशान भूमि तालाब भूमि सिवायचक पोखर कब्रिस्तान नालाभूमि कुंआ पटवार हल्का, अलीपुर ववेखर की भूमि से अतिकमण हटाने के सम्बंध में एवं कालिया बाबा को दवे स्थान विभाग में सम्मिलिति करने के सबंधि में

1. देव स्थान विभाग में कालिया बाबा पर्वत सम्मिलित किया जाए:– कालिया बाबा धार्मिक आस्था का केन्द्र हैं इसकी हजारों लाखों श्रदालु पूर्णमा अमावस्था को परिक्रमा करते है इसका लेख, रामायण, भागवत पदम् पुराण, हरिवंश पुराण आदि में मिलता है।

2. पूर्व में गैस निकली उसकी जॉच कराई जावें:– पूर्व में गैस निकलने की घटना हुई थी जिसे सरकार ने रोका था यदि पुनः खुदाई से गैस निकलती हैं तो बडी जन हानि होने की संभावना हैं इसकी वैज्ञानिक जॉच कराई जाएं।

3. चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटवाकर चार दिवारी की जाए:–ग्राम सुआकी, जसवर अलीपुर की चारागाह भूमि से अतिक्रमण को पूर्ण से हटाया जावें। जिससे गरीब पशु पालक अपने पशु चराने हेतु भूमि का उपयोग कर सके, लीज व केशरो द्वारा रेजिडेंशियल एवं कार्मशियल निर्माण को हटाया जावें एवं केशरों से उठने वाली मिटटी घास एवं पत्तों पर जमती है। जिससे पर्यावरण वनस्पति समाप्त होती है घास चरने योग्य नही रहती है। अतः चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा कर चार दीवारी कराई जावें।

4. खसरा नं. 699:– यह चारागाह भूमि हैं इस पर ग्राम पंचायत बबेखर ने टीएस नम्बर–37996–02/02/2021 सैशन, एएस नम्बर–379996–22/3/2021 जारी कर नरेगा लैड से तालाब खुदाई गई जो शिव शक्ति पास हैं उसे शिव शक्ति केशर द्वारा

बजरंगसिंह

रिवेट दिया गया है। एवं उस पर कब्जा कर लिया गया है। सम्बंधितों पर कठोर कार्यवाही की जाए।

5. खसरा नम्बर 724:– इस भूमि के उ0पू0 दिशा में एक कुंआ था उसे केशर मालिकों द्वारा अतिक्रमण कर रिवेट दिया हैं यह गैर कानूनी है।

6. खसरा नम्बर 715, 716 आवादी भूमि यह भूमि केशर व लीजों के नजदीक हैं केशर मालिका द्वारा रेजिडेन्शियल व कॉमरशियल अवैध निर्माण कर रखा है।

7. वनस्पति नष्ट की गई:– वर्ष 1990 में वन विभाग द्वारा करीव एक लाख पेड लगवाये गये, बुन्देला, शिवशाक्ति, घुरिंगा, गोवर्धन, मित्तल केशर द्वारा सभी लगाये गये वृक्षों को नष्ट किया गया है इन केशर मालिकों पर एफआईआर दर्ज कराई जावें।

8. स्थानीय जनता का स्वास्थ्य परीक्षण:– इन क्षेत्रों में प्लास्टिंग से कई लोग गम्भीर विमारियों से पिडित हैं समस्त क्षेत्रवासियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना चाहिए लेवर का परीक्षण नियमित हर माह स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना चाहिये।

9. नलो का अवरोध:– केशर मालिकों द्वारा अधिकत्तर नालों की बंद कर दिया गए इन्हें खुलवाकर प्राकृतिक जल का प्रवाह बहालकर दिया जावें नालों का अतिक्रमण मुक्त किया जावें।

10. जनसंख्या के पास – किसी भी स्टोन केशर को घनी आवादी एवं स्कूल, अस्पताल और सार्वजनिक कार्यालय से कम से कम

500मी. दूरी होना चाहिए लेकिन, अलीपुर आवादी 300मी. घाटी के नीचे 300 मी कन्या शाला, 200मी, पण्डितों के घरो से आगे राड पर मकान बुन्देला केशर से नजदीक, 350 मी. स्वास्थ्य केन्द्र, आबादी भूमि पर अतिक्रमण, जसवर आवादी 200, से करीब 250मी पीएम श्री वि. जसवर 310मी. पर स्थित हैं। पुरानी आबादी जहाँ निवास करती से सटी हुई है। केशर जोन आबादी जहाँ निवास करती है। उसके अत्यन्त नजदीक हैं इसकी कमेटी से जॉच की जावें।

11. पर्यावरण नियमः— केशर जोन द्वारा सभी नियमों के ताक पर रखकर 24 घण्टों केशर संचालित रहती हैं ईपीसीए व जीआरएपी इनका पालन नही किया जा रहा है।

12.केशरों व लीजों में खुदाई के नियमः— सभी लीजों की पत्थर कितनी गहराई में , ऊंचाई से खोदना हैं एवं लीजों की पैमाईश इन सभी केशर एवं लीज पट्टों की पैमाई की जायेंइ न पर कानूनी कार्यवाही की जायें। नियम विरूद्ध लीजों पर फाईन लगाना चाहियें।

13.केशर व लीजों से अनुमति से अधिक पत्थर खुदाईः— अनुमति से क्षमता से अधिक पत्थर खुदाई की जा रही है। से अधिक पत्थर खुदाई रमन्ना नही काटना, अवैध तरीके से पत्थर बेचना भरतपुरत क सभी अधिकारी कर्मचारी अपनी ऑख बंद करके बैठे है। उच्च स्तरीय कमैठी बनाकर शक्त कार्यवाही की जायें।

14. ओवर लोडिंग वाहनों पर कार्यवाही की जावें।

बजरंग सिंह

(5)

15.लीज व खनन् पट्टों की समय सीमा, क्षेत्रफल एवं लीजों के पट्टो की पैमाईश :– कई लीज पट्टो का कार्यकाल समाप्त हो चुका हैं। कई लीज पट्टो की आड़ में कालिया बाबा पर्वत को नष्ट किया जा रहा है, इसकी पैमाईश तहसील, खनन विभाग द्वारा करावाई जावे।

अतः श्रीमान्‌जी से निवेदन हैं कि चारागाह भूमि, तालाब, पोखर, कब्रिस्तान, शमशान, भरघ्झर भूम, नाला भूमि, आबादी भूमि, रास्ता भूमि की पैमाईश कराकर चारागाह भूमि व शमशान भूमि की चार दीवारी करवाई जावें। कालिया बाबा वचाओं संघर्ष समिति के समक्ष पैमाईश व सभी जांच की जावें। इस पर्वत को देव स्थान मे संरक्षित की जावें।

नोटः– 15 दिवस में कार्यवाही नही की गई तो कालिया बाबा वचावओंसंघर्ष समिति द्वारा अनसन किया जायेगा। जिसके जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

प्रतिलिपिः–

दिनांक 18/12/2025

1. श्रीमान् पंचायतीराज मंत्री राजस्थान सरकार।
2. श्रीमान् मुख्य मंत्री कार्यालय जयपुर
3. उपवज कार्यालय भरतपुर
4. जिला कलक्टर भरतपुर
5. उपखण्ड अधिकारी भुसावर
6. तहसीलदार भुसावर
7. राजस्व सचिव शासन सचिवालय जयपुर।

समस्त क्षेत्रवासी

पता खुदरायपुर, पो- मैथना तह- भुसावर

जि0 भरतपुर दिनांक दि. 32 / 615

मॉ0 नं0 9982531134 (राज.)

सुनीता

सुनीता उपसरपंच
कार्यालय
ग्राम पंचायत नवंवर
तह. भुसावर (भरतपुर)

Ramsingh

मोनूकुमार

सुरेश सैनी

आनन्द ...

विष्णु

Mob. no 9982583092

देवा दास

सुरेश दास

रामदास

बजरंगी

सुरजदास

विद्याराम

महाराज

हरिप्रसाद

अनिल कनीराम

देवराज हरिचंद

शिवचंद राधेश्याम

दिपक कुमार

राहुल बाबूलाल

कुलदीप

बाबू लाल

दिलीप रघुवीर

सुमन कि

कार्यालय ग्राम पंचायत, बबेखर

पंचायत समिति, भुसावर, जिला : भरतपुर (राज.)

(6)

क्र.: सुमन सिकरवार प्रशासक ग्राम पंचायत बबेखर, तह. भुसावर मो.: 8740940882	सत्यमेव जयते	प्रेषिति : श्रीमान् जिलाधीश महोदय जिला भरतपुर

क्रमांक :

दिनांक 18/12/24

विषय :–

श्रीमान जी कालिया बाबा काला पहाड क्षेत्रीय धार्मिक आस्थाओं का केन्द्र है इसकी करीब अनादी काल से परिक्रमा की जाती रही है सभी क्षेत्रवासी और दूर दराज के लोग परिक्रमा लगाते हैं और पूजा करते हैं। यहे पूजनीय पहाड तीन जिलो के लोगो द्वारा पूजनीय है जिनमे भरतपुर दौसा अलवर सीमा से जुडा है इन क्षेत्र लोगो को निरस्त करने की कृपा करावें इस परिक्रमा मार्ग मे करीब 50-60 मंदिर बने हुए है

सुमन सिकरवार
प्रशासक
सुमन सिकरवार
ग्रा. पं. बबेखर
पं.स.भुसावर (भरतपुर)

519	0.0700	गै.मु.नाला	0.0700
526	0.1200	गै.मु.नाला	0.1200

7

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- अलीपुर
पटवार हल्का :- अलीपुर
भू.अभि.नि. :- अलीपुर
तहसील :- भुसावर
जिला :- भरतपुर

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2075-2078 जमाबंदी 2077 (वर्ष 2020) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 354
खाता संख्या पुराना :- 333

काश्तकार का नाम:-

1. मकबूजाचारागाहपंचायत हिस्सा- पूर्ण अलीपुर चारागाह,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
121	0.0500	गै.मु.नाला	0.0500				
122	0.1800	गै.मु.सडक	0.1800				
123	0.7000	गै.मु.नाला	0.7000				
124	0.7100	गै.मु.नाला	0.7100				
131	2.9200	गै.मु.नाला	2.9200				
259	0.1200	गै.मु.सडक	0.1200				
260	7.8400	गै.मु.पहाड	7.8400				
261	0.1300	गै.मु.सडक	0.1300				
262	1.1200	गै.मु.पहाड	1.1200				
340	2.1400	चारागाह	1.6200				
		बारानी तृतीय	0.5200	3.12			
371	0.4400	बारानी तृतीय	0.4400	2.64			
392	0.5800	बारानी तृतीय	0.5800	3.48			
422	1.1200	बारानी तृतीय	1.1200	6.72			
451	0.3000	बारानी तृतीय	0.3000	1.80			
452/752	0.7000	गै.मु.सडक	0.7000				
कुल खसरे - 15	19.0500		19.0500	17.7600			

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 3-Nov-2025

NIC

519	0.0700	गै.मु.नाला	0.0700
526	0.1200	गै.मु.नाला	0.1200

(8)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- अलीपुर
पटवार हल्का :- अलीपुर
भू.अभि.नि. :- अलीपुर
तहसील :- भुसावर
जिला :- भरतपुर

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2075-2078 जमाबंदी 2077 (वर्ष 2020) मे स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 197
खाता संख्या पुराना :- 333

काश्तकार का नाम:-

1. गै.मु.आबादी हिस्सा- 404/757 सा. अलीपुर संस्था
2. मकबूजाचारागाह पंचायत हिस्सा- 353/757 सा. अलीपुर मकबूजा चारागाह,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
133	7.5700	गै.मु.बेहड	7.5700				
कुल खसरे - 1	7.5700		7.5700				

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है |
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है |
नकल जारी करने की तिथि :- 3-Nov-2025

NIC

519	0.0700	गै.मु.नाला	0.0700
526	0.1200	गै.मु.नाला	0.1200

(9)

प्रपत्र पी-26
(देखिये नियम 15

जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- जसवर
पटवार हल्का :- बबेखर
भू.अभि.नि. :- अलीपुर
तहसील :- भुसावर
जिला :- भरतपुर

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2075-2078 जमाबंदी 2077 (वर्ष 2020) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 1
खाता संख्या पुराना :- 1

काश्तकार का नाम:-

राज. सरकार

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा सदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टि
150	0.1000	कब्रिस्तान	0.1000				
151	1.4800	गै.मु.आबादी	1.4800				
152	0.4600	गै.मु.रास्ता	0.4600				
155	0.3800	गै.मु.रास्ता	0.3800				
161	2.4100	गै.मु.आबादी	2.4100				
164	0.0300	गै.मु.रास्ता	0.0300				
175	0.0500	गै.मु.रास्ता	0.0500				
176	0.0200	गै.मु.रास्ता	0.0200				
192	0.1100	गै.मु.रास्ता	0.1100				
207	0.0300	गै.मु.रास्ता	0.0300				
208	0.0200	गै.मु.रास्ता	0.0200				
225	0.3200	गै.मु.रास्ता	0.3200				
259	0.0300	गै.मु.रास्ता	0.0300				
264	0.0400	गै.मु.रास्ता	0.0400				
309	0.1800	गै.मु.नाला	0.1800				
314	0.4000	गै.मु.नाला	0.4000				
315	0.0700	गै.मु.रास्ता	0.0700				
319	0.1100	गै.मु.रास्ता	0.1100				
338	0.1600	गै.मु.सड़क	0.1600				
344	0.1000	गै.मु.रास्ता	0.1000				
345	1.3200	गै.मु.रास्ता	1.3200				
386	0.4000	गै.मु.नाला	0.4000				
399	0.0800	गै.मु.रास्ता	0.0800				
402	0.1100	गै.मु.रास्ता	0.1100				
42	0.1500	गै.मु.मरघट	0.1500				
451	0.8800	गै.मु.आबादी	0.8800				
454	0.0800	गै.मु.मरघट	0.0800				
461	0.6200	गै.मु.नाला	0.6200				
491	1.2600	गै.मु.पहाड़	1.2600				
519	0.0700	गै.मु.नाला	0.0700				
526	0.1200	गै.मु.नाला	0.1200				

जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- जसवर
पटवार हल्का :- बबेरवर
भू.अभि.नि. :- अलीपुर
तहसील :- भुसावर
जिला :- भरतपुर

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2075-2078 जमाबंदी 2077 (वर्ष 2020) मे स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 1
खाता संख्या पुराना :- 1

527	0.0800	गै.मु.नाला	0.0800
540	1.1200	गै.मु.रास्ता	1.1200
57	0.1000	गै.मु.रास्ता	0.1000
58	0.0400	गै.मु.रास्ता	0.0400
677	0.0100	गै.मु.बोरिंग	0.0100
678	0.0100	गै.मु.बोरिंग	0.0100
679	0.0100	गै.मु.बोरिंग	0.0100
680	13.6300	गै.मु.पहाड	13.6300
681	9.3600	गै.मु.पहाड	9.3600
682	13.7800	गै.मु.पहाड	13.7800
683	14.1100	गै.मु.पहाड	14.1100
684	9.4200	गै.मु.पहाड	9.4200
685	11.7000	गै.मु.पहाड	11.7000
686	12.1300	गै.मु.पहाड	12.1300
687	10.8200	गै.मु.पहाड	10.8200
688	10.0400	गै.मु.पहाड	10.0400
689	11.1900	गै.मु.पहाड	11.1900
690	14.3700	गै.मु.पहाड	14.3700
691	16.5500	गै.मु.पहाड	16.5500
692	12.2100	गै.मु.पहाड	12.2100
693	11.6100	गै.मु.पहाड	11.6100
694	10.4400	गै.मु.पहाड	10.4400
695	9.6200	गै.मु.पहाड	9.6200
696	15.9200	गै.मु.पहाड	15.9200
697	0.2900	गै.मु.नाला	0.2900
712	15.1200	गै.मु.पहाड	15.1200
713	13.0600	गै.मु.पहाड	13.0600
714	13.5700	गै.मु.पहाड	13.5700
715	0.8400	गै.मु.आबादी	0.8400
716	1.2200	गै.मु.आबादी	1.2200
722	0.2600	गै.मु.मरघट	0.2600
725	10.2600	गै.मु.पहाड	10.2600
726	10.3600	गै.मु.पहाड	10.3600
727	0.1000	गै.मु.आबादी	0.1000
728	0.0300	गै.मु.रास्ता	0.0300
748	0.1800	गै.मु.रास्ता	0.1800
835	0.2000	गै.मु.पोखर	0.2000
836	0.3400	गै.मु.पोखर	0.3400

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- जसवर
पटवार हल्का :- वजेखर
भू.अभि.नि. :- अलीपुर
तहसील :- भुसावर
जिला :- भरतपुर

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2075-2078 जमाबंदी 2077 (वर्ष 2020) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 1
खाता संख्या पुराना :- 1

840	0.6800	गै.मु.रास्ता	0.6800
867	0.5800	गै.मु.रास्ता	0.5800
888	0.2100	गै.मु.रास्ता	0.2100
889	0.1300	गै.मु.रास्ता	0.1300
992	0.7800	गै.मु.रास्ता	0.7800
कुल खसरे - 74	288.0700		288.0700

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है |

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है |

नकल जारी करने की तिथि :- 2-Nov-2025

परिशिष्ट-ल

सेवा में

श्रीमान जनसुनवाई अधिकारी
ग्राम पंचायत- बवेखर, भुसावर
भरतपुर (राज०)

विषय:- सरकारी धन का दुरुपयोग के बाबत् में,

महोदय,

श्रीमान जी से निवेदन है कि ग्राम पंचायत पंचायत समिति भुसावर में ग्राम पंचायत बवेखर में नाला निर्माण कार्य में ~~घटिया~~ घटिया किस्म की सामग्री का उपयोग किया जा रहा है (1) सरकारी स्कूल से मंगोल की पोखर की ओर

(2) ~~मजीरपजी~~ के घर से बरकी की पोखर तक का भुगतान बिना कार्य किये हुए भुगतान किया गया है।

(3) पानी की टंकी के औषधालय से बनयसिंह मास्टर के घर की ईंट खरंजा नाला निर्माण, धनराशि 25000 रुपये कार्य जिसमे पुरानी ईंटो का प्रयोग और बिना PCC के द्वारा बनायी गई है।

(4) ईंट खरंजा महमदपुर ~~घर~~ - सरकारी स्कूल से चरनसिंह के घर की ओर जिसमें पुरानी ईंटो का उपयोग किया गया है जिसका भुगतान हो चुका है।

(5) प्रशासक द्वारा 2025 में पानी की टंकी बनायी थी जो गिर चुकी है।

(6) सरपंच द्वारा पौधशाला ग्राम बवेखर में बनायी थी ~~जिसकी राशि~~ जिसका भुगतान हो चुका है। अब भी पेड़-पौधे जीवित नहीं हैं। और कहीं पर भी पेड़ नहीं लगाये हैं।

प्रार्थी- रामसिंह